Quota for kerosene, rice, wheat and Edible Oil for Assam

664. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the present monthly quota of kerosene, rice, wheat and edible oil fixed under targeted public distribution for Assam, item-wise;

(b) whether allocation of these items to the State is sufficient; and

(c) if not, the action taken to raise the existing allocation, as demanded by the State Government of Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) The monthly quota of rice and wheat fixed for Assam under the Targeted Public Distribution System (TPDS) as well as the monthly allocations of kerosene and edible oil are given below:--

(figures in Metric Tonnes)

Commodity	Quantity
Rice	35,000
Wheat	20,300
Kerosene	2,603
Edible Oil (Palmolein)	Nil

(b) Since the foodgrains and kerosene are heavily subsidised there is demand from the State which cannot be met in full always due to the constraints of availability and subsidy.

The State Government has intimated that there is no demand of Palmolein under PDS in Assam. Therefore, no allocation of Palmolein has been made to Assam during 1998-99.

(c) During 1998-99, the allocation of kerosene to Assam has been increased by 2.8% over the previous year. As regards allocation of rice and wheat, in addition to the fixed monthly quota, 15,000 MT of rice per month and 10,000 MT of wheat per month is being given to Assam at Central Issue Prices (CIPs) applicable to the families above poverty line.

उत्तर प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल का कोटा

665. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का कोटा बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह प्रति परिवार 20 लीटर मिट्टी के तेल मिलने की व्यवस्था है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इतना कम कोटा होने के क्या कारण हैं और कोटे में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को महाराष्ट्र के ग्रामों की तरह मिट्टी का तेल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण का मापदण्ड मैदानी क्षेत्रों में प्रति कार्ड प्रति माह 5 लीटर और पहाड़ी जिलों में प्रति कार्ड प्रति माह 5 से 1 लीटर है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण का मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रति माह 1.5 लीटर है बशर्ते कि यह प्रति कार्ड प्रति माह 15 लीटर से अधिक न हो।

(ग) विगत में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववृत (हिस्टोरिकल) आधार पर किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह मांग की थी कि उनकी जरूरत की मांग के अनुसार उनका कोटा बढ़ा दिया जाए। चूंकि देश में लगभग 45 प्रतिशत मिट्टी का तेल आयात किया जाता है और इसलिए उत्पाद की उपलब्धता में कठिनाई होने और इसमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा तथा सब्सिडि अंतर्ग्रस्त होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया है कि राज्य की पूर्ण मांग को पूरा किया जा सके। तथापि केन्द्रीय सरकार 1993/94 से 1997/98 तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि करती रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा में से आवंटन करने हेतु अपनाया गया आम सिद्धांत यह है कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति कम मिट्टी का तेल उपलब्ध है उनके लिए अधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। 1993/94 से 1997/98 तक अपनाई गई इस प्रक्रिया से केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति कम आवंटन वाले राज्यों और प्रति